रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1230] नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2017/वैशाख 13, 1939
No. 1230] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2017/VAISAKHA 13, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2017

का.आ.1393(अ).- भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 19(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् तटीय विनियमन जोन, अधिसूचना, 2011 कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए प्रारूप अधिसूचना पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना सं. का.आ. 1497(अ) तारीख 25 अप्रैल, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 25 अप्रैल, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में प्राप्त आक्षेपों तथा सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित उक्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (3) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करती है।

तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 में,-

(क) पैरा 4 के उप-पैरा 4.2 में, खंड (iii), खंड (vi), खंड (v) और खंड (vi) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(iii) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या एसआईएए साठ दिन की अवधि के भीतर संबंधित सीजेडएमए की सिफारिशों के आधार पर अनापत्ति के लिए ऐसी परियोजनाओं पर विचार करेगा।

(iv) पुनर्गठन या किन्ही अन्य कारणों से यदि, सीजेडएमए प्रचालन में नहीं हो, तब उन राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के पर्यावरण विभाग, जोकि तटीय जोन प्रबंधन योजनाओं के अभिरक्षक हैं, अपनी टीका टिप्पणी के साथ, उक्त अधिसूचना के उपबंधों के निबंधानुसार, प्रस्तावों की सिफारिश पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजेंगे।

(v) सीआरजेड अधिसूचना के अधीन परियोजनों को प्रदान की गई मंजूरी सन्निर्माण और प्रचालन के प्रारंभ के लिए मंजूरी के जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(vi) मंजूरी प्राप्त करने के बाद की मॉनीटरिंग हेतु-

(क) परियोजना प्रस्तावक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष के 1 जून तथा 31 दिसम्बर को संबद्ध विनियामक प्राधिकारी (प्राधिकारियों) को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में पर्यावरणीय मंजूरी के नियत निबंधनों तथा शर्तों की बाबत अर्द्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्टें प्रस्तुत करे और परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत सभी ऐसी अनुपालन रिपोर्टें लोक अधिकारिता क्षेत्र में प्रकाशित की जाएगी और इसकी प्रतियां संबद्ध सीजेडएमए को आवेदन किए जाने पर किसी भी व्यक्ति को दी जाएंगी।

(ख) अनुपालन रिपोर्ट संबद्ध विनियामक प्राधिकारी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाएगी।

(vii) सीजेडएमए के कार्यकरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, सीजेडएमए की यह जिम्मेदारी होगी कि वह समर्पित वेबसाइट सृजित करे और कार्य सूची, कार्यवृत्त, किए गए विनिश्चय, अनापत्ति पत्र, उल्लंघन पर की गई कार्रवाई और न्यायालय मामलों, जिनके अन्तर्गत माननीय न्यायालय के आदेश और संबंधित सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के अनुमोदित सीजेडएमपी भी हैं, को वेबसाइट पर डालेगा"।

(ख) पैरा 8 के उप-पैरा (5) में,

(i) ग्रेटर मुंबई की नगरपालिका सीमाओं के भीतर आने वाले सीआरजेड क्षेत्रों से संबंधित खंड 1 के उप-खंड (i) में, निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"ई. नगर पालिका क्षेत्र से मल उपचार के प्रयोजन के लिए सीआरजेड-1 में मल उपचार संयंत्र का संनिर्माण, जहां ऐसी सुविधाएं स्थापित करने के लिए कोई वैकल्पिक स्थान उपलब्ध नहीं है, वहां संबंधित तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकारी की सिफारिशों और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए केवल अपवादिक परिस्थितियों में नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा। सन्निर्माण प्रक्रिया के दौरान तिगुने क्षेत्र में काटे गए या नष्ट किए गए मैंग्रोव को पुनः रोपित किया जाएगा।";

(ii) गोवा के सीआरजेड से संबंधित खंड 3 में, मद (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(iiiक) जून से अगस्त मास के दौरान ऐसी संरचनाओं को हटाया और विखंडित नहीं किया जाएगा:

परंतु इन संरचनाओं में उपलब्ध सुविधाएं जून से अगस्त मास के दौरान परिचालन में नहीं रहेंगी।";

[फा. सं. 19-27/2015-आईए-III]

अरूण कुमार मेहता,संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सां. का.आ. 19(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसे निम्नानुसार संशोधित किया गया था।

1. का.आ. 2557(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;
2. का.आ. 1244(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2014;
3. का.आ. 3085(अ), तारीख 28 नवंबर, 2014;
4. का.आ. 383(अ), तारीख 04 फरवरी, 2015;
5. का.आ. 556(अ), तारीख 17 फरवरी, 2015;
6. का.आ. 938(अ), तारीख 31 मार्च, 2015;
7. का.आ. 1599(अ), तारीख 16 जून, 2015;
8. का.आ. 3552(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2015;
9. का.आ. 1212(अ), तारीख 22 मार्च, 2016;
10. का.आ. 4162(अ), तारीख 23 दिसम्बर, 2016; और
11. का.आ. 621(अ), तारीख 23 फरवरी, 2017.

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2017

S.O.1393(E). – Whereas, a draft notification further to amend the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number. S O. 19(E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the Coastal Regulation Zone, Notification, 2011) was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 1497(E) dated the 25th April, 2016, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date on which copies of Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 25th April, 2016;

And whereas, objections and suggestions received in response to the said draft notification have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the said Environment (Protection) Act, (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Coastal Regulation Zone Notification, 2011, namely:—

In the Coastal Regulation Zone Notification, 2011,-

(a) in paragraph 4, in sub-paragraph 4.2, for clause (iii), (vi), (v) and (vi), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(iii) MoEFCC or SEIAA shall consider such projects for clearance based on the recommendations of the concerned CZMA within a period of sixty days.

(iv) In case the CZMAs are not in operation due to their reconstitution or any other reasons, then it shall be responsibility of the Department of Environment in the State Government or Union territory Administrations, who are the custodian of the Coastal Zone Management Plans of respective States or Union Territories to provide comments and recommend the proposals in terms of the provisions of the said notification to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(v) The clearance accorded to the projects under the CRZ notification shall be valid for the period of five years from the date of issue of the clearance for commencement of construction and operation.

(vi) For Post clearance monitoring.–

(a) it shall be mandatory for the project proponent to submit half-yearly compliance reports in respect of the stipulated terms and conditions of the environmental clearance in hard and soft copies to the regulatory authority(s) concerned, on 1st June and 31st December of each calendar year and all such compliance reports submitted by the project proponent shall be published in public domain and its copies shall be given to any person on application to the concerned CZMA.

(b) the compliance report shall also be displayed on the website of the concerned regulatory authority.

(vii) To maintain transparency in the working of the CZMAs it shall be the responsibility of the CZMA to create a dedicated website and post the agenda, minutes, decisions taken, clearance letters, violations, action taken on the violations and court matters including the Orders of the Hon'ble Court as also the approved CZMPs of the respective State Government or Union Territory".

(b) in paragraph 8, in sub-paragraph (V),

(i) in clause 1 relating to CRZ areas falling within municipal limits of the Greater Mumbai, in sub-clause (i), after item (B), following item shall be inserted, namely:-

"C. The construction of sewage treatment plants in CRZ-I for the purpose of treating the sewage from the municipal area shall be taken only by the municipal authorities in exceptional circumstances, where no alternate site is available to set up such facilities, subject to recommendations of the concerned CZMA

and approval by the Central Government. Three times the number of mangroves destroyed or cut during construction process shall be replanted";

(ii) in clause 3 relating to CRZ of Goa, after item (iii), the following item shall be inserted, namely:-

"(iiia) such structures shall not be removed and dismantled during the month of June to August:

Provided that the facilities available in these structures shall remain non-operational during the month of June to August".

[F.No.19-27/2015-IA-III]

ARUN KUMAR MEHTA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 19 (E) dated the 6th January, 2011 and subsequently amended as follows:–

1. S.O. 2557 (E), dated the 22nd August, 2013;
2. S.O. 1244 (E), dated the 30th April, 2014;
3. S.O. 3085 (E), dated the 28th November, 2014;
4. S.O. 383 (E), dated the 4th February, 2015;
5. S.O. 556 (E), dated the 17th February, 2015;
6. S.O. 938 (E), dated the 31st March, 2015;
7. S. O. 1599 (E), dated the 16th June, 2015;
8. S. O. 3552 (E) dated the 30th December, 2015;
9. S. O. 1212 (E), dated the 22nd March, 2016;
10. S.O. 4162(E), dated the 23rd December, 2016; and
11. S.O. 621(E), dated the 23rd February, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.05.04 16:21:50 +05'30'